POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 20.06.2025

1.थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर धोखाधड़ी से 33,92,161 रुपये की ठगी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 01-06-2024 को वादी निवासी सेक्टर-45 नोएडा द्वारा थाना साइबर क्राइम आकर सूचना दी गयी कि अज्ञात अपराधियो द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर 33,92,161 रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कराकर उसके साथ धोखाधडी की गयी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम, नोएडा पर अभियोग पंजीकृत कर सदिग्ध लाभार्थी बैंक खातों को तत्काल फ्रीज करवाया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 20-06-2025 को थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा अभिसूचना संकलन करते हुए वादी मुकदमा से 33,92,161 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले गैंग के 03 शातिर साइबर अपराधी 1-महेंद्र पुत्र ओमप्रकाश 2-दिनेश पुत्र रामू राम 3-विकास विश्नोई पुत्र हरी रांम मेहला को राजस्थान से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 एन्ड्राइड मोबाइल फोन बरामद किये गये है।

थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये वादी मुकदमा के 18 लाख रिफण्ड कराये गये है। विवेचना के क्रम में पाया गया कि वादी मुकदमा के 4.20 लाख रुपये एक संदिग्ध कम्पनी के बैंक खाते में ट्रान्सफर हुए थे, जिसके सम्बन्ध में कम्पनी के प्रोपराइटर, मीडिएटरी एवं 01 अन्य सहयोगी को साक्ष्य के आधार पर श्रीगंगानगर व सूरतगढ़ (राजस्थान) से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त दिनेश द्वारा साइबर धोखाधडी से सम्बन्धित धनराशि को प्राप्त कर 'डायल्यूट' करने के लिये एक कम्पनी खोली गयी जिसमें दिनेश स्वयं प्रोपराइटर था तथा अभियुक्त महेन्द्र मैन्डेट (सिग्नेचर अथॉरटी) था। अभियुक्त विकास इन दोनो का सहयोगी तथा धोखाधडी से सम्बन्धित धनराशि को सेटल करता था। अभियुक्त की कम्पनी में धोखाधडी से सम्बन्धित 4.20 लाख रुपये प्राप्त हुये है ।

अभियुक्त द्वारा खोले गए बैंक खाते को एनसीआरपी पोर्टल पर चैक करने पर कुल 11 शिकायतें (कर्नाटक-04, महाराष्ट्र-03, तमिलनाडु-02 उत्तर प्रदेश-01,पश्चिम बंगाल-01) प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. महेंद्र पुत्र ओमप्रकाश, निवासी खरिया बास, थाना हंदा, जिला बीकानेर, राजस्थान।
2. दिनेश पुत्र रामू राम निवासी ग्राम मोटाई मोती थाना चाखू जिला फलौदी, राजस्थान।
3. विकास विश्नोई पुत्र हरी रांम मेहला निवासी हनुमान नगर, भोजासर थाना भोजासर, जिला जोधपुर, राजस्थान।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 40/2024 धारा 419/429/120बी IPC व 66डी आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

नोट- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु-:-

1. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाट्सअप कॉल और 'video call' द्वारा पुलिस की वर्दी पहन कर किये जा रहे कॉल पर यकीन करने से पूर्व उक्त मो0न0 और बताये गये नाम व पद को 'GOOGLE SEARCH' के द्वारा अथवा सम्बन्धित विभाग की वेवसाइट पर उपलब्ध अधिकारियों का और उनकी तैनाती स्थल की जाँच पडताल के बाद ही बतायी जा रही किसी बात का यकीन करें।
2. किये गये 'What's app call' और 'video call' के विषय में एक बार कोई जानकारी साझा करने से पूर्व उक्त मो0न0 के विषय में निकटवर्ती 'Cyber cell' अथवा सम्बंधित विभाग जैसे नार्कोटिक्स, फेडेक्स कोरियर, 'CBI' आदि विभिन्न संस्थानो के हेल्प डेस्क से भी जॉच पडताल करें ।
3. अगर आपके द्वारा कोई भी पार्सल नही भेजा गया है अथवा पार्सल में यदि बताया जा रहा है कि एक पार्सल मिला है जिसमें आपका आधार कार्ड या मो0न0 मिला है उक्त कॉल पर यकीन ना करें वह साइबर क्रिमिनल का कॉल हो सकता है । अगर किसी विधिक कानूनी कार्यवाही की धमकी दी जा रही हो तो घबराये नही तत्काल इस बात की सूचना सम्बन्धित / निकटवर्ती थाने में अवश्य दें ।
4. अगर आपके आधार की आई0डी0 /आपके नाम से कोई बैंक खाता खोले जाने की बात कही जा रही हो तो उसे तत्काल ब्लॉक कराने के लिये सम्बन्धित नजदीकी बैंक जाकर उक्त के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर उक्त बैंक खाते को बन्द कराने की कार्यवाही को अमल में लाया जाये ।
5. यदि 'What's app call' और 'video call' द्वारा आपके खाते में हवाला अथवा मनी लॉन्ड्रिंग से सम्बन्धित धनराशि आने की बात कही जाये तो उक्त कॉल पर यकीन न करें क्योकि कोई भी सरकारी संस्था मनी लान्ड्रिग अथवा हवाले के पैसे के सम्बन्ध में द्वारा दूरभाष अवगत नही कराती है ।
6. अगर 'What's app call' अथवा 'video call' द्वारा आपके खाते की जॉच के उपरान्त कोई पुलिस 'Clearance certificate' की बीत की जाती है तो यह निश्चित तौर पर 'Cyber Fraudsters' आप को गुमराह कर आप के खाते में मौजूद बैंक धनराशि को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते है ।
7. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यदि आपको 'What's app call' या 'video call' कर आपको डराया या धमकाया जाता है तो आप इसके सम्बन्ध में अपने घर में मौजूद अन्य सदस्यो अथवा रिश्तेदारो को भी इसके विषय में अवश्य जानकारी दें।

2.थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा, वादी को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर धोखाधड़ी से 1,00,00,000 रुपये की ठगी करने वाले प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 07-04-2025 को वादी निवासी सेक्टर-77, नोएडा द्वारा थाना साइबर क्राइम पर आकर सूचना दी गयी कि शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर साइबर अपराधियों द्वारा 1,00,00,000 रुपये को विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिये गये है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कर संबंधित बैंक खातों को तत्काल फ्रीज करवाया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 20-06-2025 को थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा अभिसूचना संकलन करते हुए शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर 1,00,00,000 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाला 01 शातिर साइबर अपराधी राजेन्द्र शर्मा पुत्र राधारमन शर्मा को नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है।

अभियुक्त द्वारा खोले गए बैंक खाते को एनसीआरपी पोर्टल पर चैक करने पर कुल 13 शिकायतें (हरियाणा-05, दिल्ली-02, उत्तर प्रदेश-01, महाराष्ट्र-03, राजस्थान-01 पश्चिम बंगाल-01) प्राप्त हुई है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर निजी बैंक में खाता खुलवाया गया एवं वादी से धोखाधड़ी के रुपयों में से 5.5 लाख रुपये उक्त खाते में ट्रांसफर किये गये थे, जिसको अभियुक्त द्वारा स्वयं बैंक से अन्य साथियों के खाते में भेज दिया गया था। अभियुक्त के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. राजेन्द्र शर्मा पुत्र राधारमन शर्मा निवासी संजय मोहल्ला, भजनपुरा गढ़ी मेंडु नार्थ ईस्ट दिल्ली स्थाई पता शिवलिका नगर फेस-4 भेल, रानीपुर, हरिद्वार उम्र 52 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

नोट- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु-:-

1. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाट्सअप कॉल और 'video call' द्वारा पुलिस की वर्दी पहन कर किये जा रहे कॉल पर यकीन करने से पूर्व उक्त मो0न0 और बताये गये नाम व पद को 'GOOGLE SEARCH' के द्वारा अथवा सम्बन्धित विभाग की वेवसाइट पर उपलब्ध अधिकारियों का और उनकी तैनाती स्थल की जाँच पडताल के बाद ही बतायी जा रही किसी बात का यकीन करें।
2. किये गये 'What’s app call' और 'video call' के विषय में एक बार कोई जानकारी साझा करने से पूर्व उक्त मो0न0 के विषय में निकटवर्ती 'Cyber cell' अथवा सम्बंधित विभाग जैसे नार्कोटिक्स, फेडेक्स कोरियर, 'CBI' आदि विभिन्न संस्थानो के हेल्प डेस्क से भी जॉच पडताल करें।

3. अगर आपके द्वारा कोई भी पार्सल नही भेजा गया है अथवा पार्सल में यदि बताया जा रहा है कि एक पार्सल मिला है जिसमें आपका आधार कार्ड या मो0न0 मिला है उक्त कॉल पर यकीन ना करें वह साइबर क्रिमिनल का कॉल हो सकता है। अगर किसी विधिक कानूनी कार्यवाही की धमकी दी जा रही हो तो घबराये नही तत्काल इस बात की सूचना सम्बन्धित / निकटवर्ती थाने में अवश्य दें।
4. अगर आपके आधार की आई0डी0 /आपके नाम से कोई बैंक खाता खोले जाने की बात कही जा रही हो तो उसे तत्काल ब्लॉक कराने के लिये सम्बन्धित नजदीकी बैंक जाकर उक्त के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर उक्त बैंक खाते को बन्द कराने की कार्यवाही को अमल में लाया जाये।
5. यदि 'What's app call' और 'video call' द्वारा आपके खाते में हवाला अथवा मनी लॉन्ड्रिंग से सम्बन्धित धनराशि आने की बात कही जाये तो उक्त कॉल पर यकीन न करें क्योकि कोई भी सरकारी संस्था मनी लान्ड्रिग अथवा हवाले के पैसे के सम्बन्ध में द्वारा दूरभाष अवगत नही कराती है।
6. अगर 'What's app call' अथवा 'video call' द्वारा आपके खाते की जॉच के उपरान्त कोई पुलिस 'Clearance certificate' की बीत की जाती है तो यह निश्चित तौर पर 'Cyber Fraudsters' आप को गुमराह कर आप के खाते में मौजूद बैंक धनराशि को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते है।
7. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यदि आपको 'What's app call' या 'video call' कर आपको डराया या धमकाया जाता है तो आप इसके सम्बन्ध में अपने घर में मौजूद अन्य सदस्यो अथवा रिश्तेदारो को भी इसके विषय में अवश्य जानकारी दें।